

- a) **Sanction Letter** of the Drawings No **PLG/(BP)3743/FTS No.-7633** Issue by **GNIDA** Dated. **17/10/2016**. I-1
- b) **FIRE NOC** No **B-42/CFO/GBN-16/2391** Dated. **05/10/2016** issue by **Chief Fire Officer**, Gautam Budh Nagar I-2
- c) **NOC Letter** No. **AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2016/169/875-78** Dated. **16-08-2016** for **Height Clearance** issued by **Airport Authority of India** I-3
- d) **Book No. 27**, **Receipt No. 1305** Dated. **02/08/2016** issued by **NOIDA** giving permission for usage of **Water from Sewage treatment Plant** I-4
- e) **Permission Letter** No. **214/Mineral Clark/2016** Dated. **04/07/2016** issued by **Distt. Mining Officer**, Gautam Budh Nagar for extracting sand for the construction of **Basement**. I-5
- f) **Vetting Certificate** No **2016/1627** Dated. **23/08/2016** issued in respect of **Structural Designing** by **MODARCHINDIA**, Address **Mulana Mohamed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025** I-6
- g) **Temporary Electrical Certificate** No **2570/VSA (Ghaziabad)H.T./Inspection** Dated. **08/09/16** issued in respect of **Electrical Connection** by **Deputy Director**, Address **Deputy Director, Electrical Safety, Uttar Pradesh Department, Ghaziabad Region, F-6, Patel Nagar-3, Ghaziabad**. I-7

I-1

Greater Noida Industrial Development Authority
169, Chitvan Estate Sector-Gamma, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, 201306

PLG/(BP) 3743/ FTS HO-7633
Dated... 17/10/2016

To,
M/S GLD INFRAPROJECTS (P) L.
H-175, SECTOR-63
NOIDA

Sir,

With reference to your application no. dated 07.09.2016 for grant of sanction of Commercial building plan on Plot no-C-03, sector-04, Greater Noida I have to inform you that the sanction is being granted by the Authority with the following conditions:

1. This sanction is being granted under the provision of 'The Greater Noida Industrial Development Area Building Regulation 2005.
2. The validity of this sanction is upto-5 YEARS
3. In case allotment is cancelled/lease is determined for whatsoever reason by functional department, aforesaid sanction shall automatically be deemed to have been withdrawn.
4. During this period, after the completion of construction it is necessary to apply for occupancy certificate. Time extension charges shall be payable as applicable.
5. If demanded by the Authority. You shall be liable to pay charges for the provision of any further facilities/development/improvement.
6. A copy of the sanction drawing shall always be kept at site and shall be made available to any officer of the Authority on demand.
7. No addition/alteration is permitted in the sanctioned drawings. For any changes prior permission from the Authority required.
8. You shall be responsible for carrying out the work in accordance with the requirements of Greater Noida Industrial Development Building Regulation 2010. and direction made from time to time.
9. Prior permission is required before digging an under ground bore well.
10. No activity other than as specified in lease deed shall be permitted in the premises
11. Prior permission is permission from the Authority is required for temporary structure also like labour huts & site office
12. Gate shall open on to the service road only. Direct access to the main carriageway shall not be provided.
13. Services, rain water harvesting shall be laid as per approval of Authority.
14. No parking of any kind shall be permitted on r/w of road.
15. Pejometer shall have to be installed as per direction issued by Authority.
16. Complying with all the requirement for obtaining NOC from various department prior to submission of application for occupancy shall be the responsibility of allottee irrespective of the proposal sanctioned by GNIDA.
17. In case of any change in the parameters which require clearance for ministry of environment, govt. of India, the applicant shall be responsible to obtain the same before starting construction.
18. Mechanical ventilation to be provided in the basement as per I.S. code.
19. The promoter shall follow the apartment Act-2010 and its applicability to the project as per defined rules and amendements made in future. As per the provision of u.p. apartment rules 2011.

Encl: Copy of sanctioned drawings ()
Copy to: G.M. (Engg.) for information and n.a.

Leena
17/10/16
LEENU SAHGAL
GM (Plng & Arch.)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पत्र संख्या: भ-42/सीएफओ/जीबीएन-16 | 2391
सेवा में,

गौतमबुद्धनगर
दिनांक 5-10-2016

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण
गौतमबुद्धनगर

विषय: मैसर्स गैलेक्सी ब्लू सैफायर प्लाजा द्वारा प्लॉट न0सी-03, सैक्टर-04, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित रिटेल मॉल व मल्टीप्लेक्स एवं मेगा शॉपिंग काम्प्लेक्स भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

यू0आई0डी0न0 2016/24479/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5737
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन गृह (पुलिस)अनुभाग-8 के पत्र संख्या: 1821/छ:-पु0-08-65(रिट)/08 दिनांक 25-07-2008 के अनुपालन में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में रिटेल मॉल, मल्टीप्लेक्स एवं मेगा शॉपिंग काम्प्लेक्स जैसे बृहद भवनो की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्नांकित कमेटी का गठन किया गया जिसका विवरण निम्नप्रकार है:-

- 1- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर द्वारा नामित
- 2- संयोजक, श्री रामराजा यादव, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
- 3- सदस्य, श्री शान्तनु कुमार यादव, अग्निशमन अधिकारी, इकोटेक तृतीय, ग्रेटर नोएडा
- 4- सदस्य, वास्तुविद, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नामित सदस्य


समिति के सदस्यों द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों का परीक्षण उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली -2005 में विहित न्यूनतम सुसंगत मानको के अनुसार किया गया तथा अपर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदोपरान्त अनुमोदित मानचित्रों का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:- 25661 वर्ग मी0,

क्रमांक	तलो की संख्या	कवर्ड एरिया रिटेल	कवर्ड एरिया टावर एं होटल	कवर्ड एरिया टावर बी आफिस
1	भूतल एरिया	9245.285 वर्ग मीटर	-	-
2	प्रथम तल	9192.027 वर्ग मीटर	-	-
3	द्वितीय तल	9430.91 वर्ग मीटर	-	-

4	तृतीय तल	9328.836 वर्ग मीटर	-	-
5	चतुर्थ तल	7701.698 वर्ग मीटर	-	-
6	पॉचवॉ तल	8677.301 वर्ग मीटर	-	-
10	छठवॉ तल	271.092 वर्ग मीटर	-	1475.618 वर्ग मीटर
11	सातवॉ तल	2770.668 वर्ग मीटर	-	1473.529 वर्ग मीटर
12	आठवॉ तल	1729.698 वर्ग मीटर	-	1423.872 वर्ग मीटर
13	नोवॉ तल	-	1477.515 वर्ग मीटर	1423.872 वर्ग मीटर
14	दसवॉ तल	-	1244.446 वर्ग मीटर	1423.872 वर्ग मीटर
15	ग्यारहवॉ तल	-	1244.446 वर्ग मीटर	1321.141 वर्ग मीटर
16	बारहवॉ तल	-	1244.446 वर्ग मीटर	1321.141 वर्ग मीटर
17	बारहवॉ ए तल	-	1244.446 वर्ग मीटर	1321.141 वर्ग मीटर
18	चौदहवॉ तल	-	1167.531 वर्ग मीटर	1252.696 वर्ग मीटर
19	पन्द्रहवॉ सर्विस तल	-	-	-
20	सोलहवॉ तल	-	1207.288 वर्ग मीटर	1252.696 वर्ग मीटर
21	सत्रहवॉ तल	-	1106.894 वर्ग मीटर	1184.251 वर्ग मीटर
22	अठारहवॉ तल	-	1106.894 वर्ग मीटर	1184.251 वर्ग मीटर
23	उन्नीसवॉ तल	-	1106.894 वर्ग मीटर	775.249 वर्ग मीटर
24	बीसवॉ तल	-	1006.734 वर्ग मीटर	775.249 वर्ग मीटर
25	इक्कीसवॉ तल	-	1006.734 वर्ग मीटर	395.18 वर्ग मीटर
26	ऊँचाई	35.70 मीटर	87.30 मीटर	89.10 मीटर

बेसमेन्ट प्रथम-18831 वर्ग मीटर।



बेसमेन्ट द्वितीय-21191.131 वर्ग मीटर।

बेसमेन्ट तृतीय-21067.194 वर्ग मीटर।

बेसमेन्ट की स्लैब न्यूनतम 70 टन भार क्षमता का रखना अनिवार्य होगा।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 मानक के अनुसार मिक्स अकूपेन्सी भवन के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुंच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 130 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:- प्रवेश द्वार की चौड़ाई 9.00 मीटर व 06.00 मीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

3-सैटबैक:- प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार सैट बैक भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है जिसे सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखा जाय इसमें किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में 15 स्टेयरकेस व 02 रैम्प तथा ऊपरी तलों तक 15 स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 2.00 मीटर व 1.50 मीटर तथा 6 अदद एस्केलटर जिनमें से एक स्टेयरकेस को फायर टावर के रूप में नामित किया जाना प्रस्तावित है। निकास मार्गों की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-फायर लिफ्ट:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में 04 लिफ्ट प्रस्तावित है जिसमें कम से कम 01 लिफ्ट में फायरमैन स्विच लगाकर फायर लिफ्ट के रूप में नामित किया जाना प्रस्तावित है।

6-रिफ्यूज एरिया:- भवन के मानचित्रों में होटल व कार्यालय भवन के प्रत्येक तल पर बालकॉनी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निर्मांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।

1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 2,00,000 लीटर पानी की क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

2-फायर पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 के दो अदद विद्युत चालित फायर पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प, समान क्षमता का स्प्रिंकलर पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 स्थापित कराये जाने वाँछनीय है।


3-टेरिस टैंक:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 20,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

4-होजरील:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

5-वेटराइजर कम डाउनकमर सिस्टम:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर कम डाउनकमर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

6-यार्ड हाइड्रेंट:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम की रिंग लाईन डालकर उस पर मानको के अनुसार यार्ड हाइड्रेंट्स एवं फायर सर्विस इनलेट वाँछनीय है।

7-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- भवन के सम्पूर्ण तलों पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वाँछनीय है।



- 8-ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में सम्पूर्ण तलों पर ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।
- 9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- भवन के समस्त तलों पर मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।
- 10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार वॉछनीय है।
- 11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।
- 12-प्रेसराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में लिफ्ट व स्टेयर केसों में प्रेशराईजेशन सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।
- 13-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर सी-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वांछनीय है।
- 14-एग्जिट साईनेज:- भवन के समस्त तलों पर एग्जिट ग्लो साईनेज बोर्ड एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।
- 15-पी0ए0 सिस्टम:- भवन के समस्त तलों पर पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉछनीय है।
- 16-वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉछनीय है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
- अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स गैलैक्सी ब्लू सफायर प्लाजा द्वारा प्लॉट न0-सी-03 सैक्टर-04 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित रिटेल मॉल व मल्टीप्लैक्स भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

5.10.16
 (सिमराजा यादव)
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 सिमराजा यादव
 गौतमबुद्धनगर
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 गौतमबुद्धनगर

- प्रतिलिपि: 1- अग्नि शमन अधिकारी ईको-3 नौएडा को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 2- प्रबन्धक मैसर्स गैलैक्सी ब्लू सफायर प्लाजा द्वारा प्रस्तावित रिटेल मॉल व मल्टीप्लैक्स भवन प्लॉट न0-सी-03 सैक्टर-04 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

No. AA/RHA/NR/ATM/NOC/2016/169/875-78

M/s GLD INFRAPROJECTS PVT LTD

Unit No.-105, First Floor, Vardhman's
Sidhant Shopping Plaza, LSC, Savita
Vihar, Delhi-110092

Date: 16-08-2016

Valid Upto: 15-08-2021

No Objection Certificate for Height Clearance

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations.

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

NOC ID :	SAFD/NORTH/B/080616/167034
Applicant Name*	Sumit Gola
Site Address*	Galaxy Blue Sapphire Plaza, At Plot No.-C-03, Sector-4, Greater Noida, (West), Haibatpur, Delhi, Delhi
Site Coordinates*	77 26 09.0-28 36 22.0, 77 26 09.0-28 36 25.0, 77 26 17.0-28 36 22.0, 77 26 19.0-28 36 25.0,
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	205 M
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	325M

*As provided by applicant

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994"

b. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

c. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.

d. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 325M, as indicated in para 2.

Page 1/2

राजीव गांधी भवन
Rajiv Gandhi Bhawanसफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली-110003
Safdarjung Airport, New Delhi-110003दूरभाष : 24632950
Phone: 24632950



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

- e. Only use of oil fired or electric fired furnace is permissible, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.
- f. The certificate is valid for a period of 5 years from the date of its issue. If the construction of structure/Chimney is not commenced within the period, a fresh 'NOC' from the Designated Officer of Airports Authority of India shall be obtained. However, if construction work has commenced, onetime revalidation request, for a period not exceeding 8 years from the date of issue of NOC in respect of building/structure and for a period not exceeding 12 years from the date of issue of NOC in respect of chimney, may be considered by AAI. The date of completion of the Structure should be intimated to this office.
- g. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights
- h. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.
- i. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in
- j. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.
- k. This NOC has been issued w.r.t. the Civil Airports. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within their jurisdiction.
- l. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.
- m. In case of any dispute w.r.t site elevation and/or AGL height, top elevation in AMSL shall prevail.


Chairman NOC Committee


Region Name: NORTH

Address: General Manager Airports
Authority of India, Regional
Headquarter, Northern Region,
Operational Offices, Gurgaon
Road, New Delhi-110037

Email ID: noc_nr@aaiaero

Contact No: 011-25653551


16/08/16
जे. एस. सन्धु / J.S. SANDHU
महाप्रबंधक (मानु) यातायात प्रबन्धन, उत्तरी क्षेत्र
General Manager (ATM), NR
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India
प्रबन्धन कार्यालय, गुडगाँव रोड, नई दिल्ली
Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

File No. AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2016/169/875-78

Copy to:

1. The Chief Executive Officer, Delhi International Airport, New Uddan Bhawan, I.G.I Airport, Terminal-3, New Delhi-110037.
2. The Chief Architect Planner, 168, Chitvan Estate, Sector-Gamma-II, Greater Noída-201306. (U.P)
3. Guard File.

Noida

New Okhla Industrial Development Authority Noida

White - Customer Copy
Pink - J.E. Copy
Green - S.T.P. Copy
Yellow - Office Copy

Sewage Treatment Plant / Sector / 23

Book No. 27 UP-13E-0612

Receipt No. 1305 Dated 09-08-18

Received from M/s. G.L.D. Infra Projects Pvt. Ltd.

Project / Plot No. C-03 Sector 04, 05, Noida

the sum of Rs. (In words) Twenty Five Thousand account of treated sewerage water for construction purpose, as per terms & conditions overleaf.

[Quantity of Sewage treated water = 5000 KL@Rs. 5/- /KL = Rs. 25000/-]

Detail of Deposit

- 1. D.D. No. - 561337 Date :- 02-08-18
- 2. Name of Bank - PNB
- 3. D.D. Amount 25000/-

Above mention D.D. received by me

Divisional Accountant

X/14/11/2018
22/08/2018
16/08/2018
Customer


Authority Signatory
Noida Authority

Terms & Conditions

1. The Treated Sewerage water is available on 1st come 1st serve basis on per availability from 9.30 A.M. to 6.00 P.M. daily.
2. The treated Sewerage water is not fit for drinking purpose/washing use/bathing use etc. by labour/their families or human being/animal use.
3. The treated Sewerage water is to be treated further before use by builders/construction companies as per requirement of I.S. : 456 to meet the water parameter suitable for construction purposes.
4. NOIDA is not responsible for any damages/losses on any account associated with treated sewerage discharge for construction purposes.
5. NOIDA is not responsible to meet the demand as per schedule & time of colonizers/builder.
6. BBR technique treated sewerage water is available from STP Sector-54, STP Sector-50 & STP Sector-123.
7. CEO NOIDA will be appellant authority in case of any dispute & the decision shall be binding to NOIDA as well as builder/Colonizers.
8. NOIDA reserve the right to regulate the sewerage discharge by any way deemed fit in the interest of Deptt.
9. NOIDA reserve the right to modify, delete, add any condition at any time & binding on builder/colonizer.
10. NOIDA reserve the right to fix/revised rate of sewerage discharge from time to time.
11. NOIDA would be responsible to the extent of supply of treated sewerage water for construction purpose only & further bonafide use of treated sewerage water shall be the responsibilities of the builders/colonizers/persons getting treated sewerage water from NOIDA.
12. In case of misuse, the penal action as per prevailing law shall be initiated.
13. That these Terms & Conditions shall be governed in accordance with the laws of India and District court in Gautam Budh Nagar and High Court in Allahabad shall have exclusive jurisdiction to adjudicate disputes arising from the terms here in.

Mr. Mohan

**बेसमेन्ट के निर्माण में निकले उपखनिज की निकासी हेतु
अनुमति-पत्र**

1 of 2566

I-5

मेसर्स जी०एल०डी० इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा०लि०, पता यूनिट संख्या 105, प्रथम तल, एल०एस०सी० सविता बिहार दिल्ली के भूखण्ड सं-सी-03 सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर के 4000 वर्गमीटर में बेसमेन्ट का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी कुल गहराई 7.00 मीटर है, सम्भावित 5.00 मीटर गहराई तक 20000 घनमीटर सा० मिट्टी का खनन प्रस्तावित है, जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रु० 30/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी अंकन रु०-6,00,000/- एवं शेष 2.00 मीटर गहराई तक 8,000 घनमीटर साधारण बालू का खनन किया जायेगा जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रु० 65/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी रु०- 5,20,000/- होती है। इस प्रकार आवेदक द्वारा रायल्टी की कुल धनराशि रु० 11,20,000/- का भुगतान कर दिया गया है। एतद्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 30.06.2016 द्वारा 03 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का ब्यौरे

क्रम सं०	तहसील	प्लॉट संख्या	बेसमेन्ट एरिया का विवरण
1.	---	भूखण्ड सं-सी-03 सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर	उक्त प्लॉट का बेसमेन्ट एरिया 4000 वर्गमीटर है जिसकी की गहराई 7.00 मीटर है।

स्थान: गौतमबुद्धनगर

दिनांक 04/07/2016 से 03/10/2016 तक

शर्तें

1. अनुमति धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावों की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावों को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. अनुमति धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
3. अनुमति धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी (खनन कार्यालय) द्वारा निर्गत प्रपत्र एमएम-11 पर ही किया जायेगा।
5. अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी, तक ही मान्य होगी।
6. प्रत्येक 07 दिन में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. एमएम-11 की बुको को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपण एवं अवशेष एमएम-11 कार्यालय में जमा करायेगें तथा खनन स्थल से निकलने वाले वाहन खनिज को तिरपाल से ढककर ही शहर के अन्दर परिवहन करें।
8. बेसमेन्ट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुरक्षात्मक उपाय बैरिकेडिंग आदि लगाकर इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू-भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुंचे और यदि क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
9. यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
10. यदि भवन परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परियोजना में अथवा परियोजना स्थल के बाहर किसी कार्य हेतु किया जाना है तो पर्यावरण निदेशालय, उ०प० के पत्र संख्या 2557/पर्या०/एस०ई०एस०सी०/साधारण मिट्टी खनन/2012 में दिये गये बिन्दु संख्या-5 में दिये गये Safeguards को कड़ाई से अपनाया जाना होगा।
11. अनुमतिधारक द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णय का अनुपालन करते हुए एवं वन भूमि के अन्तर्गत सभी प्रकार के विधिक रूप से मान्यता प्राप्त (स्टेच्यूटरी रिकग्नाइज्ड) वन (चाहे वह आरक्षित या संरक्षित या किसी अन्य नामों (डिज़िनेटेड) से हो) क्षेत्रों में खनन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. जिला खनन अधिकारी द्वारा सत्यापन करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज ले जाने के लिये जारी किये गये रवन्ना का उपयोग स्वीकृत किये गये क्षेत्र से निकाले गये खनिज के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है तथा एक प्रकार के वाहन के लिए किये गये प्रपत्रों का दूसरे प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस भू-खण्ड हेतु अनुमति दी जा रही है, उस भू-खण्ड से निर्धारित मात्रा में खनिज निकालने हेतु जारी किये गये रवन्ना का प्रयोग किसी और जगह से अवैधानिक रूप से निकाले गये खनिज में किया जाना पाया जाता है तो अदिलम्ब उक्त गैर विधिक कार्य करने वालों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की जायेगी तथा उक्त वाहन एवं खनिज को सीज किया जायेगा।
13. अनुमति देने के उपरान्त निर्धारित अंतराल में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अनिवार्य रूप से हर सप्ताह निरीक्षण किया जायेगा तथा गठित टास्क फोर्स उक्त स्थल पर खनन की जा रही खनिज (Mineral) का प्राथमिक अनुमान लगाकर उक्त मात्रा को अंकन भी करेगी अर्थात् टास्क फोर्स अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त समय समय पर निरीक्षण करते हुए खनन की जा रही मात्रा एवं गहराई की जाँच करेगी तथा यदि अनुमति में दिये गये क्षेत्रफल एवं गहराई की मात्रा से ज्यादा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है तो सम्बन्धित अवैध खनन करने वाले अनुमति धारक व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेगी। तथा उक्त को अवैध खनन मानते हुए उक्त खनिज को सीज करते हुए नियमानुसार निस्तारण करेगी।
14. शासन द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों के अधीन जिन आवेदन कर्ताओं को अनुमति मिली है उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जितना गहराई तथा जितना मात्रा हेतु खनन अनुमति मिली है और जिस खनिज हेतु अनुमति मिली है उसकी शत प्रतिशत रायल्टी जमा करके नियमानुसार उक्त बेसमेन्ट की खनिज की निकासी करेगा इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति अधिकारी/कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य द्वारा किसी तरह का दबाव या धन उगाही या गुंडा टैक्स जैसी अवैध वसूली की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति/अनुमति धारक द्वारा खनन अधिकारी को तत्काल सूचित किया जायेगा उक्त सूचना या स्वयं द्वारा किये जा रहे निरंतर निरीक्षण के आधार पर खनन अधिकारी द्वारा अदिलम्ब प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। अगर खान अधिकारी द्वारा उक्त आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुमति धारक द्वारा स्वयं या प्रभारी अधिकारी खनन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी उक्त प्राथमिकी दर्ज कर उसपर अदिलम्ब आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष की होगी।



(Signature)

15. अनुमति धारक द्वारा सम्बन्धित भूखण्ड से निकाली गयी खनिज का परिवहन जिन वाहनों द्वारा किया जायेगा उनका विवरण सम्बन्धित भूखण्ड स्वामी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर में मैनटेन किया जायेगा जिसका निरीक्षण समय पर टास्क फोर्स एवं खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के पत्र संख्या 904/एस0टी0-डी0एम0/2014 दिनांक 25.3.2014 एवं पत्र संख्या 910/एस0टी0-डी0एम0/2014 दिनांक 29.3.2014 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. अनुमति धारक का यह मूल दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा योजित किये जाने वाले कर्मचारियों का चरित्र सत्यापित करायेगा तथा किसी भी अपराधिक व्यक्ति को इस कार्य में योजित नहीं करेगा।
17. अनुमति धारक का यह भी दायित्व होगा कि यदि उनके द्वारा योजित कोई कर्मचारी कोई बूटि या शर्तो का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तब ऐसे कर्मचारी का कृत्य ठेकेदार का कृत्य समझा जायेगा और अनुमति पत्र की शर्तो के उल्लंघन के आधार पर उनके विरुद्ध नियमानुसार उक्त शर्तो का उल्लंघन से सम्बन्धित प्रचलित विधियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि अनुमति धारक अनुमति पत्र में दी गई शर्तो के अनुरूप कार्य न करके, शर्तो का उल्लंघन करता है तो अनुमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।



कार्यालय

जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक: 214 / खनिज लिपिक/2016

दिनांक 04/07/2016

प्रतिलिपि:

- 1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
- 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- 3 प्रभारी अधिकारी खनिज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4 उप जिलाधिकारी दादरी/क्षेत्राधिकारी जिला गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक- 904/एस0टी0/दिनांक-25.03.2014 द्वारा गठित टास्क फोर्स के साथ निरीक्षण कर शर्तो/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 5 जिला खनन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत के दौरान समय अन्तराल पर निरीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
- 6 संबंधित थानाध्यक्ष, जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 7 मेसर्स जी०एल०डी० इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा०लि०, पता यूनिट संख्या 105, प्रथम तल, एल०एस०सी० सविता बिहार दिल्ली के भूखण्ड सं-सी-03 सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर हेतु अनुपालनार्थ।

(Signature)
जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।



जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament)

Faculty of Engineering and Technology

Maulana Mohamed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025
Tel. 26985227, 26981717, Ext. 2310, 2312, 2313, Tele Fax: 26981261



Department of Civil Engineering

Reference No. 2016/1627

Date: 23/08/2016

Proof Checking of Submission Drawings and Design of "Galaxy Blue Sapphire Plaza" on plot no.- C-03, Sector-4, Greater Noida (West), GautamBudh Nagar, U.P. for M/s GLD INFRAPROJECTS PVT LTD

The Submission drawings and design submitted by Architect "MODARCHINDIA" for "Galaxy Blue Sapphire Plaza" on plot no.- C-03, Sector-4, Greater Noida (west), Gautam Budh Nagar, U.P., with area details given in Annexure-1 attached, have been checked to the requirement of relevant Indian Standard Codes of Practice of bureau of Indian Standard such as IS456:2000, IS1893:2002, and IS13920:1993 in respect of structural safety including earthquake.

The design conforms to relevant IS codes and has been found satisfactory for seismic Zone-IV and therefore approved.


Dr. Khalid Moin
(Professor)

Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering & Technology
Jamia Millia Islamia
New Delhi-110025

(i)

Annexure-1

Area Detail of "Galaxy Blue Sapphire Plaza" on Plot No.-C-03, Sector-4, Greater Noida

Shop's, Multiplex, Banquet, Hotel & Service Apartment

S.No.	Towers	Total Floors	F.A.R. Area (SQ.M.)	Non F.A.R. Area (SQ.M.)	ADD 15% F.A.R (SQ.M.)	Total Built Area (SQ.M.)
1.	Shops	B1+G+1 st +2 nd +3 rd +4 th +5 th +6 th	61743.304	9618.042	4243.745	75593.925
2.	Multiplex	4 th +5 th	5446.763			5446.763
3.	Banquet	7 th	2770.668			2770.668
4.	Hotel Rooms	9 th to 21 st	14164.628	1512.050	185.306	17494.804
6.	Office	6 th to 21 st	18003.758	1308.566	2013.051	21325.375
7.	Basement-2	B2		21191.131	579.969	21771.100
8.	Basement-3	B3		21067.194		21067.194
9.	Meter Room	G	9.000			9.000
10.	Guard Room	G			27.000	27.000
11.	MLCP	G+20		12979.848		12979.848
	Total		102137.761	67676.831	8867.254	178681.846

Dr. KHAJID MOJIB
Professor
Dept. of Civil Engineering
P.O. Engineering & Technology
Jamia Millia Islamia
New Delhi-110025

I-7

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30 प्र० शासन, गाजियाबाद रीजन, एफ-6, पटेलनगर-3, गाजियाबाद ।
संख्या- 2570 वि०सु०नि०(गा०बा० रीजन) एच०टी०/ निरीक्षण
सेवा में, दिनांक- 08-9-16

M/s- GLD Infraprojects Pvt. Ltd.,
Galaxy Blue Sapphire Plaza,
C-03, Sector-04, Gr.Noida,
Distt.- Gautambudhnagar

विषय- 100के० वी० ए० X 01नं० (11 / 0.433 के०वी०) ट्रांसफार्मर के उच्च विभव विद्युत
अधिष्ठापन का प्रारंभिक निरीक्षण ।

प्रसंग- निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30प्र०शासन, लखनऊ का पत्रसंख्या- 1266 /मु०ई०/एच०टी०/अनुमोदन/
दिनांक-07.09.2016 एवं आपका पत्र दिनांक-शून्य द्वारा प्राप्त ट्रेजरी धालान सं०आर 124023,
दिनांक-05.09.2016, रु०6,000/- राजकीय कोषागार में जमा किया गया ।

प्रिय महोदय,

कृपया आपके परिसर में अधिष्ठापित निम्नलिखित ट्रांसफार्मर के उच्च विभव विद्युत अधिष्ठापन
का प्रारंभिक निरीक्षण अधोहरताकारकर्ता द्वारा दिनांक-08.09.2016 को किया गया :-

ट्रांसफार्मर का विवरण :-
मेक- एशियन इण्डस्ट्रिज,
नं०- अस्पष्ट,
क्षमता- 100 के०वी०ए०,
वोल्टेज- 11/ 0.433 के०वी०

निरीक्षण के समय उपरोक्त विद्युत अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों
के अन्तर्गत संतोषजनक पाया गया । अतः उक्त ट्रांसफार्मर को प्रयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती
है । यदि भविष्य में उपरोक्त विद्युतीय अधिष्ठापन में अनुमोदित ड्राइंग से भिन्न किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया
जाता है, तो उसकी पूर्व अनुमति इस कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय ,अन्यथा भारतीय विद्युत नियम-1956
के सम्बन्धित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना जायेगा ।

भवदीय

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक

विद्युत सुरक्षा 30प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

स०

वि०सु०नि० (गा०बा० रीजन) एच०टी० / निरीक्षण तद दिनांक-
उपरोक्त की प्रतिलिपि नोएडा पावर कम्पनी लि०, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक

विद्युत सुरक्षा 30प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

स०

वि०सु०नि० (गा०बा० रीजन) एच०टी० / निरीक्षण तद दिनांक-
उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30प्र०शासन, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद ।
2. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30प्र०शासन, लखनऊ की सेवा में ।

(इंजी० अक्षय कुमार आर्य)

उपनिदेशक

विद्युत सुरक्षा 30प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद